

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)


प्रार्थी श्री छगनलाल

बनाम

श्री जगन्नाथ

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act

पत्रावली संख्या : 57/22 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	<p><u>दिनांक : 17.06.2022</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री जितेन्द्र लक्षकार द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। विपक्षीगण खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी की भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 2303/520, 523 किता 2 रकबा 0.0486 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 से 5 आगामी आदेश तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाए रखे। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।</p> <p>विपक्षीगण को हुक्म ईमतनाई आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 08.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	



8/7/22
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/बिपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी मन्ने. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक 18/7/22 को पेश हो

18/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/बिपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी मन्ने. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक 25/7/22 को पेश हो

25/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/बिपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी मन्ने. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक 29/7/22 को पेश हो

29/7/22

पत्रावली पेश 52) विपक्षीय की
 ओर से श्रीमती ललिता बसीरा सा,
 पत्रावली पेश किया) वास पत्र से
 त्वीकृत किया

आप दिनांक 8 व 12 लनास त्वीकृत
 होकर के फलत किया जा चुका है
 आतः प्रलनास किया होने में अब एक
 प्रकार से श्री कायवाही शेष नहीं
 रहती। आतः पत्रावली इसी फल पर
 शेष की जाती है,
 पत्रावली फलत प्रमाण होकर
 नम्बर से कम हो

निर्णय पुनर्दा किया



सहायक कलक्टर
 (SDO) मराठी

वास्तविक ही
 साधेपस प्रवेश